संख्या 21 XXXVI(2)/2009-10-एक (2)/05

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 13 फरवरी, 2009

विषय- उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता/कार्यावधि बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-25/XXXVI(2)/2008-10-एक (2)/05, दिनांक 28 जनवरी 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये स्वीकृत सभी अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, दिनांक 01.03.2009 से 28.02.2010 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालय के लिये स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या-13-एक-(2)/छत्तीस (1)/2006-10-एक (2)/2005, दिनांक 29.10.2005 द्वारा किया गया था।

2- उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के लेखा शीर्षक '2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-सिविल और सेशन्स न्यायाधीश-00' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए0-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24 (8)/92, दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव।

संख्या एवं दि0 (1) XXXVI(2)/2009-10-एक (2)-05-तद्दिनाक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2- समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तराखण्ड।
3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4- वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एनआई.सी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव।